

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प.21(5)साप्र/4/2023-24 (2190)

जयपुर, दिनांक 12-06-2023

मुख्य अभियन्ता (भवन),  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या-16/2023-24

**विषय :** गांधीनगर, जयपुर स्थित चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर जयपुर स्थित निम्न चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु राशि रुपये **4.61 (अक्षरे रुपये चार लाख ईकसठ हजार मात्र)** के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

S.N.	Name of allottee and Qtr No.	Pre Allotted for House		Description of proposed work			Total Amount
		Block Year	Amount	S.N.	Work	Amount	
1	Smt Shilpi Shah, Qtr No. F-181, Gandhi Nagar	2022 to 2025		1	Rough Kota Stone with pcc earth work	0.90	1.16
				2	Ramp Repair work	0.10	
					<b>Total A</b>	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					<b>Total B</b>	1.03	
					Prorata 13%	0.13	
2	Sh Rajesh Kumar, Qtr No. F-418, Gandhi Nagar	2023 to 2026		1	Toilet Renovation	0.30	1.16
				2	Brick work	0.14	
				3	Plaster Repair work	0.10	
				4	Door	0.16	
				5	Mat tile	0.30	
					<b>Total A</b>	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					<b>Total B</b>	1.03	
		Prorata 13%	0.13				

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena  
Designation : Joint Secretary  
Date: 2023.06.14 13:05:40 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4031010



3	Smt Seema Modi, Qtr No F-453, Gandhinagar	2023 to 2026	1	Kitchen Renovation	0.27	1.13		
			2	Mat tile	0.13			
			3	MS door	0.08			
			4	Toilet Renovation	0.35			
			5	Almirah Shutter	0.11			
			6	Section window	0.04			
							<b>Total A</b>	0.98
							Cont. 2.5%	0.02
							<b>Total B</b>	1.00
							Prorata 13%	0.13
4	Sh Mahesh Kumar Meena, Qtr No. F-968, Gandhi Nagar	2023 to 2026	1	Jali door wooden	0.18	1.16		
			2	Plaster Repair work	0.20			
			3	Boundary Wall	0.14			
			4	Bath renovation	0.25			
			5	Kitchen Renovation	0.23			
							<b>Total A</b>	1.00
							Cont. 2.5%	0.03
							<b>Total B</b>	1.03
							Prorata 13%	0.13
<b>Grand Total</b>					<b>4.61</b>			

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवास [90] - निर्माण कार्य-स्कीम 16 -लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)साप्र-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 29.03.2022 के अन्तर्गत दिनांक 1.04.2022 से दिनांक 15.04.2022 तक आफलाईन जारी एएफएस हेतु वित्त (बजट) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार एएफएस मॉड्यूल में प्रपत्र 14 बी में इन्द्राज एवं पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर की एसओपी के अनुसार सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने एवं इस प्रकार प्राप्त प्रोजेक्ट अप्रूवल आईडी का वॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर बिलों का भुगतान किया जाना है, जिनमें ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश जारी किया जाना तथा ऑनलाईन एमबी भरा जाना आवश्यक नहीं है। दिनांक 16.04.2022 से ऑनलाईन एएफएस ही मान्य है, इसलिए इस स्वीकृति के लिये ऑनलाईन एएफएस अलग से जारी की जा रही है।

**Signature valid**

Digitally signed by Har Sahay Meena  
Designation : Joint Secretary  
Date: 2023.06.14 13:05:40 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4031010



आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144दिनांक 13.07.2009 (यथासंशोधित) के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(**डॉ. हर सहाय मीणा**)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर।
9. संबंधित आवासी।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 4031010

**Signature valid**

Digitally signed by Har Sahay  
Meena  
Designation : Joint Secretary  
Date: 2023.06.14 13:05:40 IST  
Reason: Approved



# General Administrative Department

Room N0 5028

Main Building, Secretariat Jaipur

Phone: 0141-25224 Fax: 0141-25224 e-mail: GAD4@RAJASTHAN.GOV.IN

**A & F Sanction No. 2324-JS405-18 Dated : 16/06/2023**

**FD Project Approval ID (FDPAID) : 104856**

## Chief Engineer

Chief Engineer Public Works Department, Jaipur

**Sub : Administrative & Financial sanction of proposal for Repair and maintenance work in Quarter No. F 181 (Amount 1.16 Lac), F-418 (Amount 1.16 Lac), F 453 (Amount 1.13 Lac), F-968 (Amount 1.16 Lac)**

**Gandhinagar, Jaipur Total Amount 4.61 Lac (E.C. Rs. 4.61 lac) , District : Jaipur.**

Ref : CE PWD Letter

In Exercise of power delegated, Administrative and Financial sanction of Rs. 4.61 lac is hereby accorded for the proposal of Repair and maintenance work in Quarter No. F 181 (Amount 1.16 Lac), F-418 (Amount 1.16 Lac), F 453 (Amount 1.13 Lac), F-968 (Amount 1.16 Lac) Gandhinagar, Jaipur Total Amount 4.61 Lac subject to the following conditions :

1. समस्त व्यय सुस्थापित अधिनियमों, विनियमों व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए किया जावे।
2. कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जावे।
3. समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।
4. यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700-अन्य आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के बंगले- 90-निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा। कृपया कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

**Name of Scheme / Work : Repair and maintenance work in Quarter No. F 181 (Amount 1.16 Lac), F-418 (Amount 1.16 Lac), F 453 (Amount 1.13 Lac), F-968 (Amount 1.16 Lac) Gandhinagar, Jaipur Total Amount 4.61 Lac**

**Amount of A & F Sanction (Rs.) : 4.61 lac**

**Budget Head :-**

4216-01-700-11-90-16 [ P / V ] - Amount (Rs.) : 4.61 lac

**Technical Sanction (TS) Execution Office :- X.EN. P.W.D.,CITY DIV.III JAIPUR**

**Joint Secretary**

General Administrative Department

Copy to following for information and necessary action :-

- 1) Accountant General,AG Office, Jaipur.
- 2) Joint Secretary,Joint Secretary, Finance (Budget) Department, Rajasthan, Jaipur.
- 3) Executive Engineer,X.EN. P. W.D.,CITY DIV.III JAIPUR.
- 4) Executive Engineer,EXECUTIVE ENGINEER P. W.D.ELECT. DIV.-2 JAIPUR.

**Joint Secretary**

General Administrative Department